FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0331 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 16/12/2025 17:36 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/05/2025 **Date To (दिनांक तक):** 27/05/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:20 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/12/2025 **Time (समय):** 15:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 16/12/2025 17:36:09 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 25 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** KARALYA NAYAB TAHSILDAR, RENWAL MANJI JAIPUR, AND SANADHYA GAUR BRAHMIN, DHARAMSHALA

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GOVIND AAKAD

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHANKARLAL GUPTA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	8/124, TIKKY COLONY, NEAR POST OFFICE, SANGANER, SANGANER, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	8/124, TIKKY COLONY, NEAR POST OFFICE, SANGANER, SANGANER, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ARVIND SHARMA AND OTHERS		पिता:SATYANARAYAN SHARMA	1. HALL NAYAB TAHSILDAR,RENWAL MANJI JAIPUR,RENWAL,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 23.05.2025 को परिवादी श्री गोविंद आकड पुत्र श्री शंकर लाल गुप्ता निवासी- 8/124 टिक्की कालोनी सागानेर ने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.यू. प्रथम भ्रनिब्यूरो जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्शक भष्टाचार न्युरोधक ब्योरो su 1 जयपुर , विषयः रिश्वत लेते हुअे को रगे हाथो पकडवाने के सम्बंध में प्रार्थी गोविंद आकड पुत्र श्री शंकर लाल गुप्ता जाती महाजन उम्र 30 वर्ष निवासी 8/124 टिक्की कॉलोनी नियर पोस्ट ऑफिस सांगानेर का रहने वाला हूं। मेरे पिता के बडे भाई राकेश जैन व मेरे पिता द्वारा बनाई गई कम्पनी के नाम पर जिसका नाम भु धन रियल एस्टेट प्रा. लि. द्वारा करिब 38 बिघा जमीन ग्राम चादावास रेनवाल मांजी मे 20 वर्ष पहले क्रय की गई थी। मेरे पिताजी द्वारा उक्त जमीन मे से करिब 6 बिघा जमीन में SSS उधेग के नाम से फ्रम बनाकर खनिज विभाग से ईंट भटटे चलाने की अनुमती प्राप्त की गई करिब 3 साल से उक्त फ्रम के नाम से ईंट भटटा संचालित है। उक्त ईट भट्टे पर मेनेजमेंट का कार्य अबिद खान पुत्र श्री रफिक मोहम्मद निवासी बस स्टेण्ट रेनवाल मांजी युको बैंक के सामने का रहने वाले करते है। उक्त जमिन मे से 2 बिस्वा जमिन का नामान्तर लबित था। उक्त जमिन का नामातरण खुलवाने के लिए हंसराज शर्मा पटवारी हल्का पटवारी रेनवाल मांजी से करिब 2 महिने पहले मिले जिसको नामांतरण खोलने के लिए दस्तावेज उपलब्ध करवाऐ जिसके द्वारा 3.4 /5/2025 को मेरे पिता शंकर लाल गुप्ता को कॉल करके अपने पास बुलाया गया और बोला आपको एक गुड न्युज और बेड न्युज देता हूं पहला आपका नामांतरण का कार्य पूर्ण हो गया है, दुसरा आपकी जमीन पर स्टे आ गया है। अवेध माईनिग के सम्बन्ध में कार्य करते हुऐ 1.05.2025 को उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा द्वारा यथास्थिति के आदेश जारी करने के सम्बन्ध में बताया गया मेरे पिता जी द्वारा बताया गया रेनवाल क्षेत्र में लगभग 65 ईट भट्टे होने के बारे में बताया गया हमारे द्वारा S.D.M द्वारा जारी यथास्थिती स्टे की नकल निकलवाई गई हमारे द्वारा उक्त यथास्थीती के आदेश उक्त 177 की कार्यवाही को ड्रीप करवाने के लिए लोगो से जानकारी की पता चला की श्री हिमांशु जैन निवासी चितौडा ग्राम का रहने वाला है। जो दैनिक भाष्कर में पत्रकार है जिसके साथ नवल सरपंच पुर्व चितौडा व रमेश चौधरी बिजेपी कार्यक्ता रामसिंह राठोर निवासी चादवास विजेपी कार्यक्ता है जो आपस में मिले हुअे है व आपस में एक साथ रहते है रमेश चौधरी रेनवाल मांजी का रहने वाला है। इन लोगो ने आम जनता से पैसे लुटने के लिए गिरोह बना रखा है। मे हिमाशु पत्रकार से मिला तो वो मुझे वो श्री अरविंद शर्मा नायब तहसीलदार जी से मिलने के बारे में बताया मेरे द्वारा नायाब तहसील से मिलने के लिए अबिद को भेजा गया आबिद को हिमांशु नायब तहसिलदार अरविद शर्मा ने कहा की आपके विरूध 177 की कार्यवाही की गयी है इस मामले को देखते है दिनांक 6.5.2025 को हिमांशु ने मुझे व आबिद को कहा की S.D.M साहब मेरे मिलने वाले है उन्ही से आपका काम होगा जो मे करवा दुगा हिमांशु हम दोनों को श्री राजेश कुमार मिणा S.D.M माधोराजपुर के कार्ययलय में राशि में लेकर गया जहा पर राजेश कुमार मिणा मोजुद मिले जिन्होने हमे बताया कि नायब तहसिलदार व पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आपके धारा 177 का आदेश जारी किया आपका काम होग आप वकील करो इसके पश्चात S.D.M ने फोन कर श्री सिताराम सैनी वकील जिसके मो. न को अपने कार्यलय में बुलाया व हमारे सामने कहा की इनका काम करना है। आप जवाब तैयार करो मे नायब तहसीलदार को फोन करता हु। जो सकारात्मक रिपोर्ट देगा वकील ने बाहर निकलते ही बताया की पैसे के बारे में S.D.M साहब ही बतायगे फिर हम हिमाशु के साथ वापस आ गये उसके बाद दो दिन तक हिमांशु ने फोन नहि उठाया और जब मे हिमाशु के गांव जाकर उससे मिला तो उसने बताया ये रामसिंह जी का मामला है। मे उनके खिलाफ नहि जा सकता फिर हिमाशु ने बोला की आप नवल सरपंच सहाब चितौडा से जाकर मिलो इस काम के लिए तो मे नवल सरपंच से मिला उसने बोला आपका काम हो जायगा आप रमेश चौधरी से जाकर मिलो जब मे रमेश चौधरी से जाकर मिला तो उसने कहा की मे नायब तहसीलदार को बोलकर करवा दुगा उसके बाद रमेश ने फोन उठाना बन्द कर दिया फिर मुझे ग्राम पवालिया में श्री सिताराम सैनी ने फोन करके बुलाया और कहा की मे नायाब तहसिलदार जि से मिलकर आ राहा हु जिसमे उसने बताया S.D.M साहाब नायाब तहसिलदार तहसिलदार तनु शर्मा पटवारी हसराज शर्मा व मेरा सबका कुल खर्चा 50 लाख रूपये सभी अधिकारी मांग रहे है। व आपका काम कम्पलीट हो रखा है, ये पैसे देने पर आपका काम पुरा होगा मे सिताराम सैनी S.D.M राजेश कुमार मिणा पत्रकार हिमाशु जैन नायब तहसिलदार व तहसिलदार व पटवारी हसराज शर्मा व रामसिह चादावास रमेश चौधरी

रेनवाल माजी व नवल यादव चितौडा को रिश्वत नहि देना चाहता हु रिश्वल लेते हुअे को रगे हाथो पकडवाना चाहता हु हमारी उक्त सभी से कोई आपसी रजिंश नहि है ना हि कोई उधार का लेनदेन शेष है रिपोर्ट करता हु कानूनी कार्यवाही करे 23-05-2025 प्रार्थी sd . नाम श्री गोविन्द आकड s/o शकर लाल गुप्ता निवसी 8/124 टिक्की कालोनी सागानेर M

जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.यू. प्रथम भ्रनिब्यूरो जयपुर ने मन निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय में बुलाया जहां पर दो व्यक्ति बैठे हुए थे। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्तियों का परिचय कराते हुऐ परिवादी के प्रार्थना पत्र पर आवश्यक विधिक कार्यवाही करें का पृष्ठांकन कर परिवादी का प्रार्थना पत्र मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी व दूसरे व्यक्ति व उसके प्रार्थना पत्र को मेरे कार्यालय में लेकर आयी व परिवादी का नाम पता पूछा तो परिवादी ने अपना नाम श्री गोविन्द आकड़ पुत्र श्री शंकरलाल गुप्ता जाति महाजन उम्र 30 वर्ष निवासी 8/124 टिक्की कॉलोनी नियर पोस्ट ऑफिस सांगानेर जयपुर व अपने साथ आये व्यक्ति का नाम श्री आबिद खान मैनेजर फर्म SSS ईंट उधोग चांदावास जयपुर होना बताया। परिवादी के प्रार्थना पत्र को परिवादी को पढकर सुनाने पर परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित सभी तथ्यों का सही होना स्वीकार किया व दरियाफ्त करने पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अपनी जानकारी होना व सही होना स्वीकार किया गया। परिवादी को प्रार्थना पत्र के बारे मे पूछा तो उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित नहीं होकर अपने साथी आबिद खान मैनेजर फर्म SSS ईंट उधोग चांदावास जयपुर द्वारा लिखित होना बताया। परिवादी श्री गोविन्द आकड से दरियाफ्त करने पर बताया कि राजस्व ग्राम चांदावास रेनवाल मांझी में 38 बीघा कृषि भूमि करीबन 20 वर्ष पहले क्रय करना बताया। स्वयं के पिता द्वारा उक्त जमीन में से करीब 6 बीघा जमीन खनिज विभाग से ईंटे भट्टा उधोग चलाने की अनुमति प्राप्त कर वर्तमान में SSS ईंट भट्टा उधोग चांदावास संचालित होना बताया।परिवादी ने बताया कि कार्यालय समय समाप्त हो चुका है आज कार्यालय में कोई अधिकारी/कर्मचारी नहीं मिलेगा। आईन्दा कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी व सपरिवादी को रूखस्त किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने से सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। दिनांक 26.05.2025 को परिवादी मय मैनेजर आबिद खान के उपस्थित कार्यालय आया। तत्पश्चात परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मैनें एसडीएम कार्यालय में मालूमात किया तो एसडीएम साहब अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं होना मालूम हुआ व आज वकीलों की हड़ताल होने के कारण वकील सीताराम सैनी भी उपस्थित नहीं होना ज्ञात हुआ। अतः मैं कार्यवाही हेतु दिनांक 27.05.2025 को आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी व उसके साथ आये ईंट भट्टा मैनेजर आबिद खान को दिनांक 27.05.2025 को कार्यालय समय में आने की हिदायत देकर अपनी-अपनी सकूनत पर रवाना किया गया। दिनांक 27.05.2025 को परिवादी श्री गोविन्द आकड़ मय ईंट भट्टा मैनेजर श्री आबिद खान मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया। परिवादी श्री गोविन्द आकड़ से उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में अधिकार पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में हस्तलिखित अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर परिवादी श्री गोविन्द आकड़ के पिता श्री शंकरलाल के हस्ताक्षर थे।तत्पश्चात कार्यालय से श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 को तलब कर परिवादी व कानिस्टेबल रविन्द्र कुमार का आपस में परिचय करवाया गया। तथा कार्यालय हाजा की आलमारी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उसे खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई। तत्पश्चात परिवादी श्री गोविन्द आकड़ को संदिग्धों द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बंध में आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 को वाईस रिकॉर्डर सुपूर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी श्री गोविन्द आकड. जब रिश्वत राशि की मांग के सम्बंध में संदिग्धों के पास वार्ता करने जाये तो उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द करें तथा परिवादी द्वारा संदिग्धों से बातचीत करने के दौरान उनके मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करे। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द सुपूर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई।तत्पश्चात परिवादी श्री गोविन्द आकड. मय ईंट भट्टा मैनेजर श्री आबिद खान व श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 को कार्यालय से एसडीएम कार्यालय माधोराजपुरा रवाना किया गया। कुछ समय बाद परिवादी श्री गोविन्द आकड. मय ईंट भट्टा मैनेजर श्री आबिद खान एवं श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 कार्यालय में उपस्थित आये। श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 ने उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को पेश कर अवगत करवाया कि मैं और परिवादी श्री गोविन्द आकड. मय ईंट भट्टा मैनेजर श्री आबिद खान कार्यालय से रवाना होकर उपखण्ड कार्यालय माधोराजपुरा पहुंचे, जहां पर परिवादी को वार्ता हेतु संदिग्ध के पास जाने से पूर्व मेरे द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दिया गया। परिवादी व ईंट भट्टा मैनेजर श्री आबिद खान डिजीटल वाईस रिकॉर्डर लेकर संदिग्ध के पास वार्ता हेतु गये तथा परिवादी द्वारा संदिग्ध के साथ हुई वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया तथा बाद वार्ता डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मुझे लाकर दिया गया जिसे मेरे द्वारा बन्द किया गया।मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछने पर परिवादी ने श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 की बातों की ताईद करते हुए अवगत कराया कि कार्यालय से रवाना होकर मैं व ईंट भट्टा मैनेजर श्री आबिद खान एवं श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 उपखण्ड कार्यालय माधोराजपुरा जयपुर के पास पहुंचे जहां पर श्री

रविन्द्र कुमार कानि 467 द्वारा मुझे डिजिटल वॉईस रिकार्डर चालू करके सुपूर्द किया गया। उसके बाद मैं व ईंट भट्टा मैनेजर श्री आबिद खान संदिग्ध के पास उपखण्ड कार्यालय माधोराजपुरा जयपुर में गया तो संदिग्ध श्री राजेश कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा मुझे अपने कार्यालय में मौजूद मिले वहां पर तहसीलदार तहसील माधोराजपुरा हमारी जमीन के संबंध में जो वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टिनेंसी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्रकरण संख्या 93/2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा में दर्ज हुआ है जिसमें तहसीलदार तहसील माधोराजपुरा द्वारा दावे में 1 से 17 तक के व्यक्तियों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का उल्लेख था हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 03.04.2025 को तहसीलदार के समक्ष कृषि से अकृषि मिट्टी खनन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा द्वारा दिनांक 01.05.2025 को न्यायिक निर्णय से अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने का आदेश जारी कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 03.06.2025 तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया था जिसके संबंध में निषेधाज्ञा हटवाने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसके संबंध में आज उपखण्ड अधिकारी के पास गया तो एसडीएम साहब ने वकील साहब से बहस करने के लिए बोलने का कहा। मेरे द्वारा अपनी फाईल पैन्डेंसी के बारे में कहा तो एसडीएम साहब ने कहा कि आपके वकील साहब को बुलाकर बहस कर लो और एसडीएम साहब ने कहा कि मैं फाईल मंगवाकर देख लेता हूं, तब साथ आये ईंट भट्टा मैनेजर श्री आबिद खान ने कहा जवाब पेश कर दिया है और स्टे वैकेट की एप्लीकेशन लगा दी है, फिर एसडीएम साहब ने हमारे प्रकरण के संबंध में एसडीएम साहब ने नायब तहसीलदार को फोन लगाया था उन्होने फोन नहीं उठाया, इन्होने मुझे पूछा मेरे मोबाईल नम्बर तुम्हारे पास है क्या मेरे द्वारा मना करने पर एसडीएम साहब ने अपने कार्यालय में बैठे अन्य व्यक्ति के मोबाईल नम्बर लेने के लिए कहा इसके बाद कार्यालय में बैठे अन्य व्यक्ति ने मेरा मोबाईल फोन लेकर स्वयं के नम्बर मेरे फोन में डायल कर रिंग मारी फिर मैनें मेरे फोन पर रिंग आयी मोबाईल नम्बर को सेव कर लिया। तत्पश्चात मैने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर श्री रविन्द्र कुमार कानि को सुपूर्द कर दिया। मेरे व एसडीएम साहब व अन्य व्यक्ति के बीच हुई वार्ता की रिकार्डिंग डीजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की है। फिर हमने सीताराम सैनी वकील के बारे में मालूमात किया तो कहीं बाहर जाना व एसडीएम कार्यालय में नहीं होना बताया ।तत्पश्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से जोडकर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से अपने स्तर का काम करने व वकील से मिलने हेतु कहा गया। परिवादी के साथ आये ईंट भट्टा मैनेजर श्री आबिद खान से उक्त वार्ता के संबंध में पूछा गया तो उपरोक्त बातों की ताईद की गयी। तत्पश्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मेरी कार्यालय आलमारी में रखा गया। परिवादी श्री गोविन्द आकड. ने बताया कि हम कल वकील सीताराम सैनी के पास माधोराजपुरा जायेगे अगर वकील मिलेगा तो आपको जरिये टेलीफोन सूचित कर देगें। तथा परिवादी श्री गोविन्द आकड. व ईंट भट्टा मैनेजर श्री आबिद खान को गोपनीयता बनाये रखने एवं अन्य हिदायत कर रवाना किया गया।दिनांक 28.05.2025 को परिवादी श्री गोविन्द आकड़ द्वारा मन निरीक्षक पुलिस से जरिये टेलीफोन सम्पर्क किया और बताया कि आज मुझे एसडीएम कार्यालय माधोराजपुरा जाना है, मैं और श्री आबिद खान ईंट भट्टा मैनेजर एसडीएम कार्यालय में मिल जायेंगे। जिस पर कार्यालय की आलमारी में रखा डिजीटल वाईस श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 सुपूर्द कर परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध से वार्ता हेतु एसडीएम कार्यालय माधोराजपुरा रवाना किया गया। इसके बाद श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 वापस कार्यालय उपस्थित आया व श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 को सुपूर्द डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को लाकर सुपूर्द किया जिसे कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया, व बताया कि मैं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर एसडीएम कार्यालय माधोराजपुरा पहुंचा जहां पर परिवादी श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान ईंट भट्टा मैनेजर एसडीएम कार्यालय परिसर में उपस्थित मिले, मेरे द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करके परिवादी श्री गोविन्द आकड़ को सुपूर्द किया तत्पश्चात श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान ईंट भट्टा मैनेजर संदिग्ध एसडीएम साहब व वकील सीताराम सैनी से अपने लम्बित कार्य के लिए वार्ता कर वार्ताएं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर वापस लाकर मुझ रविन्द्र कुमार कानि 467 को सुपूर्द किया जिसे बंद कर सुरक्षित मेरे पास रख लिया। जिस पर परिवादी ने जरिये फोन सम्पर्क कर मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि आज दिनांक को श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होकर अपने पास रखा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करके मुझे सुपूर्द किया जिसके बाद मैं और श्री आबिद खान ईंट भट्टा मैनेजर एसडीएम कार्यालय परिसर में वकील सीताराम सैनी मिले जिनसे मेरे जमीन सम्बन्धित लम्बित मामले की वार्ता करने के बाद वकील सीताराम सैनी एसडीएम साहब के कार्यालय कक्ष में चला गया थोडी देर बाद एसडीएम साहब के कक्ष से वकील वापस आकर बताया कि आपके लम्बित कार्य के लिए मैनें एसडीएम साहब से बात कर ली है उसके कुछ समय पश्चात मैं और श्री आबिद खान एसडीएम साहब के कक्ष में गये तो एसडीएम साहब ने बताया कि मैं शाम को नायब तहसीलदार से मिलूंगा आपका कार्य सौ प्रतिशत हो जायेगा। तत्पश्चात मैं और श्री आबिद खान एसडीएम कक्ष से बाहर आगये व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 को सुपूर्द किया। तत्पश्चात श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 एसडीएम कार्यालय से रवाना हुआ। परिवादी श्री गोविन्द आकड ने बताया कि मुझे जरूरी कार्य है जिस कारण आज एसीबी कार्यालय उपस्थित नहीं हो सकता हूं कल एसीबी कार्यालय उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान को गोपनीय कार्यवाही हेतु पाबंद कर बाला-बाला रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक

29.05.2025 को परिवादी श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान को एसडीएम साहब कार्यालय जाने व एसडीएम कार्यालय उपस्थित मिलने हेतु पाबंद किया गया।दिनांक 29.05.2025 को परिवादी श्री गोविन्द आकड़ द्वारा श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 के फोन पर जरिये टेलीफोन सम्पर्क किया और बताया कि परिवादी व श्री आबिद खान रेनवाल मांझी उप तहसील कार्यालय मिल जायेंगे। आप उप तहसील कार्यालय रेनवाल मांझी आ जाओ। जिस पर कार्यालय की आलमारी में रखा डिजीटल वाईस श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 को सुपूर्द कर परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध से वार्ता हेतु उप तहसील कार्यालय रेनवाल मांझी रवाना किया गया। शाम को श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 कार्यालय उपस्थित आया व श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 को सुपूर्द डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को लाकर सुपूर्द किया जिसे कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया, व श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 ने बताया कि मैं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर उप तहसील कार्यालय रेनवाल मांझी पहुंचा जहां पर परिवादी श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान ईंट भट्टा मैनेजर उप तहसील कार्यालय परिसर में उपस्थित मिले, मेरे द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करके परिवादी श्री गोविन्द आकड़ को सुपूर्द किया तत्पश्चात श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान ईंट भट्टा मैनेजर संदिग्ध नायब तहसीलदार श्री अरविन्द शर्मा के उप तहसील कार्यालय कक्ष रेनवाल मांझी में संदिग्ध से बात कर वापस आये व डिजीटल वाईस रिकार्डर परिवादी श्री गोविन्द आकड़ द्वारा मुझे सुपूर्द किया जिसे में बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। इसके पश्चात परिवादी श्री गोविन्द आकड़ की मेरे फोन से आप से वार्ता करवायी गयी।मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 के फोन से वार्ता हुयी तो परिवादी ने बताया मैं व श्री आबिद खान तथा श्री रविन्द्र कुमार कानि उप तहसील कार्यालय रेनवाल मांझी मिले। श्री रविन्द्र कुमार कानि द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करके मुझे सुपूर्द किया । मैं व आबिद खान नायब तहसीलदार के कार्यालय कक्ष में गये तो नायब तहसीलदार ने जमीन से सम्बन्धित से दस्तावेज व वकील द्वारा तैयार जवाब दिनांक 30.05.2025 को देने के लिए कहा । जिस पर परिवादी गोविन्द ंआकड़ व श्री आबिद खान कार्यालय कक्ष से बाहर आकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर श्री रविन्द्र कुमार कानि को सुपूर्द किया गया । परिवादी श्री गोविन्द आकड ने बताया कि मुझे घर पर जरूरी कार्य है जिस कारण आज एसीबी कार्यालय उपस्थित नहीं हो सकता हूं कल एसीबी कार्यालय उपस्थित हो जाउंगा । जिस पर परिवादी श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान को गोपनीय कार्यवाही हेतु पाबंद कर बाला-बाला रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 30.05.2025 को परिवादी श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान को उप तहसील कार्यालय रेनवाला मांझी मिलने हेतु पाबंद किया गया।दिनांक 30.05.2025 को श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया जिसे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की आलमारी में रखा डिजीटल वाईस श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 को सुपूर्द कर पूर्व में तयशुदा समय 09.00 एएम पर पहुंचने हेतु परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध से वार्ता हेतु उप तहसील कार्यालय रेनवाल मांझी रवाना किया गया। इसके बाद वक्त 06.00 पीएम. पर श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 कार्यालय उपस्थित आया व श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 को सुपूर्द डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को लाकर सुपूर्द किया जिसे कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया, व श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आकर बताया कि मैं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर उप तहसील कार्यालय रेनवाल मांझी पहुंचा जहां पर परिवादी श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान ईंट भट्टा मैनेजर उप तहसील कार्यालय परिसर में उपस्थित मिले, तथा नायब तहसीलदार श्री अरविन्द शर्मा से परिवादी ने बात की तो नायब तहसीलदार ने रास्ते में होना बताया तथा कहा कि थोड़ी देर में रेनवाल से पहले बालावाला गांव के पास भारत पेट्रोलियम पेट्राल पम्प पर मिलता हूं रेनवाल से मैं मेरी मोटरसाईकिल व परिवादी श्री गोविन्द आकड व श्री आबिद खान अपनी गाडी से रवाना होकर पेट्रोल पम्प के पास पहुंचे मेरे द्वारा पेट्रोल पम्प से थोड़ा पहले वॉईस रिकॉर्डर चालू करके परिवादी श्री गोविन्द आकड़ को सुपूर्द कर संदिग्ध नायब तहसीलदार से वार्ता हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान ईंट भट्टा मैनेजर संदिग्ध नायब तहसीलदार श्री अरविन्द शर्मा से भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पम्प के पास संदिग्ध से अपने लम्बित कार्य के सम्बन्ध में वार्ता कर वापस आये व डिजीटल वाईस रिकार्डर परिवादी श्री गोविन्द आकड़ द्वारा मुझे सुपूर्द किया जिसे मैनें बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा।मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 के फोन से परिवादी से वार्ता हुयी तो बताया मैं व श्री आबिद खान तथा श्री रविन्द्र कुमार कानि रेनवाल मांझी मिले। श्री रविन्द्र कुमार कानि द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करके मुझे सुपूर्द किया । मैंने व आबिद खान नायब तहसीलदार से भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पम्प के पास मिले जहां पर मेरे द्वरा नायब तहसीलदार को जमीन से सम्बन्धित से दस्तावेज व वकील द्वारा तैयार जवाब सुपूर्द किया गया। नायब तहसीलदार ने एसडीएम साहब से वार्ता कर शाम को 03 बजे रेनवाल मिलता हूं जिनसे पुनः 03 बजे जरिये कॉल सम्पर्क किया तो 02 घण्टे बाद मिलना बताया, 02 घण्टे बाद पुनः फोन किया तो बताया कि मैं ओर थोडी लेट आउंगा फिर करीबन 08 पीएम पर मेरे द्वारा कॉल किया तो बताया कि मैं अभी बाहर हुं कल 09.30 एएम पर प्रतापनगर मिलता हूं जिसके पश्चात परिवादी श्री गोविन्द आकड ने बताया कि मुझे घर पर जरूरी कार्य है जिस कारण आज एसीबी कार्यालय उपस्थित नहीं हो सकता हूं कल प्रतापनगर मिल जाउंगा। जिस पर परिवादी श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान को गोपनीय कार्यवाही हेतु पाबंद कर बाला-बाला रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 31.05.2025 को परिवादी श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान को नायब तहसीलदार से प्रतापनगर मिलने हेतु पाबंद किया गया।दिनांक 31.05.2025 प्रातः श्री रविन्द्र

कुमार कानि 467 ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया जिसे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की आलमारी में रखा डिजीटल वाईस श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 को सुपूर्द कर पूर्व से तयशुदा स्थान पर पहुंचने हेतु परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध से वार्ता हेतु प्रतापनगर रवाना किया गया। वक्त 06.00 पीएम. पर श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 कार्यालय उपस्थित आया व श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 को सुपूर्द डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को लाकर सुपूर्द किया जिसे सरसरी तौर पर सुनकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया, व श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आकर बताया कि मैं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर प्रतापनगर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान ईंट भट्टा मैनेजर प्रतापनगर एलआईसी ऑफिस के सामने वाले रोड़ पर उपस्थित मिले, तथा नायब तहसीलदार श्री अरविन्द शर्मा से परिवादी ने बात की तो नायब तहसीलदार ने कहा कि अभी में दैनिक कार्य से निवृत हो रहा हूं आप थोडी रूको मैं आता हूं फिर कुछ समय पश्चात नायब तहसीलदार अरविन्द शर्मा प्रतापनगर एलआईसी ऑफिस के सामने वाले रोड़ पर आये व श्री आबिद खान के मोबाईल पर फोन किया। जिस पर मेरे द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करके परिवादी श्री गोविन्द आकड़ को सुपूर्द कर संदिग्ध नायब तहसीलदार से वार्ता हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान ईंट भट्टा मैनेजर संदिग्ध नायब तहसीलदार श्री अरविन्द शर्मा से प्रतापनगर एलआईसी ऑफिस के सामने वाले रोड़ पर संदिग्ध से अपने लम्बित कार्य के सम्बन्ध में वार्ता हेतु संदिग्ध अपनी गाडी में बिठाकर अपने साथ ले गया। करीब 30 मिनट वार्ता के पश्चात वापस आये व डिजीटल वाईस रिकार्डर परिवादी श्री गोविन्द आकड़ द्वारा मुझे सुपूर्द किया जिसे मैनें बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। इसके पश्चात परिवादी श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान ब्यूरो कार्यालय आये व परिवादी श्री गोविन्द आकड ने बताया कि मेरे द्वारा नायब तहसीलदार श्री अरविन्द शर्मा से मेरे कार्य के सम्बन्ध में बात करने हेतु सम्पर्क किया तो तहसीलदार ने कहा कि अभी में दैनिक कार्य से निवृत हो रहा हूं आप थोडी रूको मैं आता हूं फिर कुछ समय पश्चात नायब तहसीलदार अरविन्द शर्मा प्रतापनगर एलआईसी ऑफिस के सामने वाले रोड़ पर आये व श्री आबिद खान के मोबाईल पर फोन किया और बताया कि मैं सेवन एप्पल होटल के सामने खडा हूं तत्पश्चात मैं व श्री आबिद खान नायब तहसीलदार की गाडी के पास पहुंचे और नायब तहसीलदार ने अपनी गाडी में बैठने हेतु कहा और हमे अपने साथ गाडी में बिठाकर हमारे कार्य के सम्बन्ध में वार्ता करने हेतु चाय की थड़ी पर ले गये और कहा कि आपकी पटवारी व एसडीएम साहब से मैं बात कर लूंगा व वकील साहब को फोन करके पुनः जांच की एप्लीकेशन लगाने के आदेश दिये गये। परिवादी श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान को गोपनीय कार्यवाही की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया।दिनांक 02.06.2025 मन अर्चना मीणा पुलिस निरीक्षक अवकाश पर जाने के कारण उक्त गोपनीय कार्यवाही पत्रावली मय दस्तावेज मय विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें एस.डी. कार्ड लगा हुआ है को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो एस.यू प्रथम जयपुर को सुपुर्द किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एस.डी कार्ड लगा हुआ को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया।दिनांक 03.06.2025 को परिवादी श्री गोविन्द आकड़ मय सहपरिवादी श्री आबिद खान के उपस्थित आये, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय की आलमारी में रखा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एस.डी कार्ड लगा हुआ को श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 को सुपूर्द किया। परिवादी के बताये अनुसार परिवादी श्री गोविन्द आकड़ मय सहपरिवादी श्री आबिद खान व कानि. श्री रविन्द्र कुमार को मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एस.डी कार्ड लगा हुये को संदिग्ध से वार्ता हेतु उप तहसील कार्यालय रेनवाल मांझी रवाना किया गया।सांयकाल को श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 मय परिवादी श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान उपस्थित कार्यालय आये व श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 को सुपूर्द डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को लाकर सुपूर्द किया जिसे सरसरी तौर पर सुनकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया, व श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 ने बताया कि मैं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर परिवादी के साथ उप तहसील कार्यालय रेनवाल पहुंचा , जिस पर मेरे द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करके परिवादी श्री गोविन्द आकड़ को सुपूर्द कर संदिग्ध आरोपी नायब तहसीलदार से वार्ता हेतु मय सहपरिवादी श्री आबिद खान के रवाना किया गया। जहां पर परिवादी श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान नायब तहसीलदार श्री अरविन्द शर्मा से उप तहसील कार्यालय रेनवाल में मिले ,करीब 45 मिनट वार्ता के पश्चात वापस आये व डिजीटल वाईस रिकार्डर परिवादी श्री गोविन्द आकड़ द्वारा मुझे सुपूर्द किया जिसे मैनें बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा इसके बाद परिवादी श्री गोविन्द आकड ने बताया कि मेरे द्वारा नायब तहसीलदार श्री अरविन्द शर्मा से मेरे कार्य के सम्बन्ध में बात करने हेतु सम्पर्क किया तो उन्होने उप तहसील कार्यालय रेनवाल बुलाया इसके बाद हम रेनवाल कार्यालय पहुचे व रविन्द्र कानि. ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू करके मुझे दिया इसके बाद नायब तहसीलदार श्री अरविन्द शर्मा उप तहसील कार्यालय रेनवाल के कार्यालय गया जहां पर नायत तहसीलदार से बातचीत की। नायब तहसीलदार द्वारा आज स्पष्ट रूप रिश्वत की मांग नहीं की गई थी। वार्ता करने के बाद मैं व आबिद खान कार्यालय से बाहर आये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को श्री रविन्द्र कानि. को वापिस दिया उसके बाद रविन्द्र कानि. ने डिजीटल वाईस रिकार्डर को बन्द करके उनके पास रख लिया था। उसके बाद हम वहां से रवाना होकर ए.सी.बी कार्यालय आ गये। श्रीमान पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को चालू करके सरसरी तौर पर सुना गया। उसके बाद डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द करके कार्यालय की आलमारी सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री गोविन्द आकड व सहपरिवादी श्री आबिद खान को गोपनीय कार्यवाही की मुनासिब हिदायत देकर ए.सी.बी कार्यालय से

किया गया।दिनांक 08.06.2025 को श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया जिसे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय की आलमारी में रखा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 को सुपूर्द कर पूर्व से तयशुदा स्थान पर पहुंचने हेतु परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध से वार्ता हेतु गोनेर रवाना किया गया। समय 09.00 पीएम. पर श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 कार्यालय उपस्थित आया व श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 को सुपूर्द डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को लाकर सुपूर्द किया जिसे सरसरी तौर पर सुनकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया, व श्री रविन्द्र कुमार कानि 467 उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आकर बताया कि मैं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर परिवादी श्री गोविन्द आकड़ के बताये अनुसार गोनेर रोड़ पहुंचा जहां पर परिवादी श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान ईंट भट्टा मैनेजर कुछ समय पश्चात उपस्थित आये व बताया कि नायब तहसीलदार श्री अरविन्द शर्मा ने हमें गोनेर मिलने के लिए कहा है। जिसके पश्चात मैं व परिवादी व श्री आबिद खान ईंट भट्टा मैनेजर गोनेर पहुंचे। कुछ समय बाद श्री आबिद खान ईंट भट्टा मैनेजर के पास करीब 06.15 पीएम पर नायब तहसीलदार श्री अरविन्द शर्मा का कॉल आया और गौड सनाढ्य धर्मशाला मिलने के लिए कहा जिस पर परिवादी श्री गोविन्द आकड़ को वाईस रिकॉर्डर चालू करके सुपूर्द कर संदिग्ध नायब तहसीलदार से वार्ता हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान ईंट भट्टा मैनेजर संदिग्ध नायब तहसीलदार श्री अरविन्द शर्मा से बात कर वापस आये व डिजीटल वाईस रिकार्डर परिवादी श्री गोविन्द आकड़ द्वारा मुझे सुपूर्द किया जिसे मैनें बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। इसके पश्चात परिवादी श्री गोविन्द आकड़ व श्री आबिद खान ईंट भट्टा मैनेजर वक्त 09.00 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय आये व परिवादी श्री गोविन्द आकड ने बताया कि मेरे द्वारा नायब तहसीलदार श्री अरविन्द शर्मा से मेरे कार्य के सम्बन्ध में बात करने हेतु सम्पर्क किया तो नायब तहसीलदार ने कहा कि मैं अभी किसी कार्य से गोनेर जा रहा हूं वहां पर मिलना। फिर कुछ समय पश्चात नायब तहसीलदार अरविन्द शर्मा का फोन आया और कहा कि सनाढ्य गौड़ धर्मशाला आया हूं तुम लोग यहां पर आकर मिल लो। फिर हम गौड सनाढ्य धर्मशाला पहुंचे तो उन्होनें धर्मशाला के बाहर वाले कमरे में बुलाया जहां पर वकील सीताराम सैनी व अन्य लोग भी मिले कुछ समय बाद नायब तहसीलदार से हमारे कार्य के सम्बंध में वार्ता हुई ,बात वार्ता हम धर्मशाला से बाहर आ गये। डिजिटल रिकॅार्डर श्री रविन्द्र जी को दिया ,जिसने डिजिटल रिकॅार्डर बंद कर अपने पास रख लिया। परिवादी श्री गोविन्द आकड व सहपरिवादी श्री आबिद खान को गोपनीय कार्यवाही की मुनासिब हिदायत देकर ए.सी.बी कार्यालय से किया गया।दिनांक 23.06.2025 को मन् पुलिस निरीक्षक के अवकाश से वापिस कार्यालय उपस्थित आने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड ने परिवादी श्री गोविन्द आकड के प्रार्थना पत्र से सम्बंधित गोपनीय कार्यवाही की पत्रावली मय दस्तावेज मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एस.डी. कार्ड लगा हुआ कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू कर ध्यानपूर्वक सुना गया तो परिवादी श्री गोविन्द आकड व सहपरिवादी श्री आबिद खान तथा आरोपीगण के मध्य परिवादी के पेण्डिग कार्य के सम्बन्ध में 25 लाख रूपये की मांग करना पाया गया है। गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह की आवश्कता होने पर श्री संजय कुमार कानि. नं. 325 दो स्वतन्त्र गवाहान श्री बनवारी चौधरी हाल पटवारी कार्यालय उपायुक्त जोन-06 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर व श्री मनीष कुमार मीणा हाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम कार्यालय उपायुक्त जोन-06 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को पाबन्द कर कार्यालय में उपस्थित आया।दिनांक 24.06.2025 को पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री गोविन्द आकड व सहपरिवादी श्री आबिद खान ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये । मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतन्त्र गवाहान से उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री बनवारी चौधरी व दुसरे ने अपना नाम श्री मनीष कुमार मीणा होना बताया। उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान से ट्रेप कार्यावाही में स्वतन्त्र गवाहान होने की सहमति चाही तो उक्त दोनों ने अपनी सहमति दी। इसके पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का स्वतन्त्र गवाहान से अवलोकन करवाया गया तथा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित परिवादी से स्वतन्त्र गवाहान से परिचय करवाया गया। परिवादी व आरोपीगण के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हुई थी जो विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एस.डी. कार्ड लगा हुआ को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया था। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एस.डी कार्ड लगा हुआ को ब्यूरो कार्यालय की आलमारी से निकाला। उक्त रिकॉर्डर में लगे एस.डी कार्ड में दिनांक 27.05.2025, 28.05.2025, 29.05.2025, 30.05.2025, 31.05.2025, 03.06.2025, 08.06.2025 को परिवादी व सपरिवादी तथा आरोपीगण व अन्य वार्ता रिकॉर्ड की फर्द ट्रासंक्रिप्ट स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष नियमानुसार बनाना शुरू की गई। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एस.डी.कार्ड लगा हुआ को विभागीय लैपटॉप से जोडकर उक्त रिकॉर्ड वार्ता की वाईस क्लीक को बारी-बारी से सुनकर फर्द ट्रासंक्रिप्ट मांग सत्यापन मुर्तिब करने की कार्यवाही की जा रही है। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता काफी लम्बी है कार्यालय समय पूर्ण होने व समय का अभाव होने के कारण निरन्तरता के क्रम में जारी रखी गई। डिजीटल वाईस रिकार्डर एस.डी. कार्ड लगे हुये को लॅपटॉप से निकालकर बन्द कर व लैपटॉप को बन्द कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया व स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को मुनासिब हिदात कर ब्यूरो कार्यालय से रवाना किया गया।दिनांक 03.07.2025 को पूर्व में पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री बनवारी चौधरी व श्री मनीष कुमार मीणा परिवादी श्री गोविन्द आकड व सहपरिवादी श्री आबिद खान उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये है। परिवादी श्री गोविन्द आकड ने बताया कि मैं आवश्यक कार्य से बाहर चला गया था जिस

कारण ब्यूरो कार्यालय उपस्थित नहीं हो सका था जो आज उपस्थित आया हूॅ। फर्द ट्रासंक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही जो दिनांक 24.06.2025 को शुरू की थी उसी के निरन्तरता के क्रम में कार्यवाही शुरू की जाती है। मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की आलमारी से सुरक्षित रखे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एस.डी कार्ड लगा हुआ व कार्यालय लैपटॉप कार्यालय की आलमारी से बाहर निकाले गये। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एस.डी.कार्ड लगा हुआ को विभागीय लैपटॉप से जोडकर उक्त रिकॉर्ड वार्ता की वाईस क्लीक को बारी-बारी से सुनकर फर्द ट्रासंक्रिप्ट मांग सत्यापन मुर्तिब करने की कार्यवाही की गई। वक्त 6.00 पी.एम हो चुका है, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता काफी लम्बी है कार्यालय समय पूर्ण होने व समय का अभाव होने के कारण निरन्तरता के क्रम में जारी रखी गई। डिजीटल वाईस रिकार्डर एस.डी. कार्ड लगे हुये को लॅपटॉप से निकालकर बन्द कर व लैपटॉप को बन्द कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया व स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को मुनासिब हिदात कर ब्यूरो कार्यालय से रवाना किया गया।दिनांक 04.07.2025 को पूर्व में पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री बनवारी चौधरी व श्री मनीष कुमार मीणा परिवादी श्री गोविन्द आकड व सहपरिवादी श्री आबिद खान उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये है। फर्द ट्रासंक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही जो दिनांक 24.06.2025 को शुरू की थी उसी के निरन्तरता के क्रम में कार्यवाही शुरू की जाती है। मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की आलमारी से सुरक्षित रखे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एस.डी कार्ड लगा हुआ व कार्यालय लैपटॉप कार्यालय की आलमारी से बाहर निकाले गये। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एस.डी.कार्ड लगा हुआ को विभागीय लैपटॉप से जोडकर उक्त रिकॉर्ड वार्ता की वाईस क्लीक को बारी-बारी से सुनकर फर्द ट्रासंक्रिप्ट मांग सत्यापन मुर्तिब करने की कार्यवाही की गई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता काफी लम्बी है कार्यालय समय पूर्ण होने व समय का अभाव होने के कारण निरन्तरता के क्रम में जारी रखी गई। डिजीटल वाईस रिकार्डर एस.डी. कार्ड लगे हुये को लॅपटॉप से निकालकर बन्द कर व लैपटॉप को बन्द कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया व स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को मुनासिब हिदात कर ब्यूरो कार्यालय से रवाना किया गया।दिनांक 07.07.2025 को पूर्व में पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री बनवारी चौधरी व श्री मनीष कुमार मीणा व परिवादी श्री गोविन्द आकड व सहपरिवादी श्री आबिद खान उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये है। परिवादी श्री गोविन्द आकड ने बताया कि मैं आवश्यक कार्य से बाहर चला गया था जिस कारण ब्यूरो कार्यालय उपस्थित नहीं हो सका था जो आज उपस्थित आया हूॅ । फर्द ट्रासंक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही जो दिनांक 24.06.2025 को शुरू की थी उसी के निरन्तरता के क्रम में कार्यवाही शुरू की जाती है। मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की आलमारी से सुरक्षित रखे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एस.डी कार्ड लगा हुआ व कार्यालय लैपटॉप कार्यालय की आलमारी से बाहर निकाले गये। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लैपटॉप से जोडकर सुना गया व स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी सहपरिवादी को सुनाया गया । उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता मे आरोपीगण श्री राजेश कुमार मीणा एसडीएम माधोराजपुरा, नायब तहसीलदार श्री अरविन्द शर्मा रेनवाल मांझी व अन्य व स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री गोविन्द आकड सह परिवादी श्री आबिद खान द्वारा की गयी। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तायें ज्यादा लम्बी होने के कारण परिवादी श्री गोविन्द आकड़ सहपरिवादी श्री आबिद खान व स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष दिनांक 24.06.2025, दिनांक 03.07.2025 दिनांक 04.07.2025 व दिनांक 07.07.2025 तक तैयार की गई। उक्त रूपांतरण वार्ता तैयार करने के बाद उक्त रूपांतरण वार्ता का सम्बंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपांतरण सही होना परिवादी श्री गोविन्द आकड़ सह परिवादी श्री आबिद खान व उपस्थित स्वतंत्र गवाहान् ने स्वीकार किया। उक्त वार्ता की वॉईस क्लिप को बारी बारी से सुन-सुनकर फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करने के पश्चात विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर माईक्रो एसडी कार्ड Sandisk 16 GB लगा हुआ जो कार्यालय हाजा के लैपटॉप से जुडा हुआ है से उक्त रिकार्ड वार्ता की मेमोरी कार्ड बनाने हेतु चार खाली मेमोरी कार्ड Sandisk प्रत्येक 32 GB को खाली होना सुनिश्चित कर बारी बारी कम्प्यूटर की सहायता से रिकॉर्डशुदा वार्ता की चार मेमोरी कार्ड मूल मेमोरी कार्ड से कॉपी तैयार की जाकर मार्का SD-1, SD-2, SD-3, SD-4 अंकित किया गया मेमोरी कार्ड मार्का SD-1, SD-2, SD-3 को पृथक पृथक प्लास्टिक के कवर में रखकर, प्लास्टिक कवर को अलग-2 सफेद कपडे़ की थैलीयों मे रखकर शील्डमोहर कर कपड़े की थैलीयों पर मार्का अंकित किया जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया तथा मेमोरी कार्ड मार्का SD-4 को अनुसंधान हेतु खुला रख शामिल ट्रेप कार्यवाही किया गया। इसके पश्चात डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मूल मैमोरी कॉर्ड Sandisk 16 GB जिसमे उक्त वार्तायें दर्ज रिकॉर्ड है, को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर से निकालकर एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर कपडे़ की थैली पर मार्क SD अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवा कर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त मूल मेमोरी कार्ड Sandisk 16 GB की हैश वैल्यू निकाली गई। फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में शील्ड शुदा आर्टीकल्स, आई.ओ कॉपी, विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एवं पत्रावली को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। वक्त 8.00 पी.एम पर परिवादी श्री गोविन्द आकड व सहपरिवादी श्री आबिद खान व दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री बनवारी चौधरी व श्री मनीष कुमार मीणा को बाद मुनासिब हिदायत कर रूखस्त किया गया।दिनांक 08.09.2025 को परिवादी श्री गोविन्द आकड व सहपरिवादी श्री आबिद खान के उपस्थित कार्यालय आये एवं बताया कि दिनांक 07.07.2025 के पश्चात अब नायब तहसीलदार अरविंद शर्मा व अन्य द्वारा हमारे पैंडिंग कार्य के लिये रिवत राशि की मांग

नही की जा रही हे। नायब तहसीलदार व अन्य द्वारा रिश्वत राशि प्रापत करने के बारे में कोई दिनांक समय स्थान नही बताया है। परिवादी ने बताया कि आरोपीगण काफी चतुर चालाक है, वे अपनी सुविधा के अनुसार ही रिश्वत राशि प्रापत कर सकते है तथा नायब तहसीलदार श्री अरविंद शर्मा माधोराजपुरा व अन्य को हमारे उपर संदेह होने का अंदेशा के कारण वे सभी सचेत होकर रिश्वत राशि की मांग वर्तमान समय में नही करने से अब ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना कम है। आरोपीगण को संदेह होने के कारण परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने का प्रयास नही करने से आरोपीगण को गिरफ्तार नही किया जा सका। ।ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 27.05.2025, 28.05.2025, 29.05.2025, 30.05.2025, 31.05.2025, 02.06.2025 व दिनांक 08.06.2025 श्री अरविन्द शर्मा नायब तहसीलदार व अन्य में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश निम्नांकित है, परिवादी गोविंद आकड आरोपी को कहता है, ' थे आदेश तो करो किसको आदेश कर ' सह परिवादी आबिद आरोपी को कहता है 'थे बताओ वान कड क तक सलटावा .... .अस्पष्ट, थाकी जो इच्छा हो वो बताओ' वार्ता जिस पर अरविंद शर्मा बोलता है 'मेरो को तो ये बोल दो अपना काम इतने पैसो का है अभी नहीं लुगा' परिवादी गोविंद आकड कहता है, टेन्शन तो मेरे माथे पे हो गया ना अब आडिया तो बताओ ये सब इतना-इतना तक सुलट जायेगे' फिर आबिद खान कहता है 'वकील पीसा ज्यादा मांग रयो छ काई माकन छ' तो जिस पर आरोपी कहता है, 'काई म ज्यादा छ 'परिवादी आबिद कहता है' सहपरिवादी आबिद खान कहता है 'तो सही छ अब बताओ आपको आदेश करो वकील भी गया अब या बताओ कुण-कुण को काई छ बि हिसाब सु में भी माखी व्यवस्था कर चाला ' आरोपी अरविंद शर्मा नायब तहसीलदार ने कहा 'व्यवस्था राखो थे 'फिर सह परिवादी आबिद खान ने कहा 'बताओ कती' आरोपी अरविंद शर्मा ने कहता है '(पच्चीस) की तो मान चालो' इस पर सहपरिवादी आबिद कहता है '(पच्चीस) लाख म' आरोपी अरविंद शर्मा ने कहता है 'सारा कम्पलीट' सहपरिवादी आबिद कहता है 'तहसीलदार तक' आरोपी अरविंद शर्मा ने कहता है 'सब कम्पलीट, लगभग ही मान के चालो' सहपरिवादी आबिद कहता है 'हम या मान ल्यो फेर एस.डी.ओ फेस डी. ओ का थोडी काई' आरोपी अरविंद शर्मा नायब तहसीलदार कहता है 'सब-सब हम आव ला काई या थोडी छ' सहपरिवादी आबिद खान कहता है 'हम या मान ल्यो फेर एस.डी.ओ फेस डी.ओ का थोडी काई' आरोपी अरविंद शर्मा नायब तहसीलदार कहता है 'सब-सब हम आव ला काई या थोडी छ' सहपरिवादी आबिद खान कहता है 'तहसीलदार पटवारी सब गिरदावर सब ' आरोपी अरविंद शर्मा कहता है 'सारा चपरासी सुं ले अर सारा परिवादी गोविंद आकड कहता है 'नायब साहब' आरोपी 'हुं' गोविंद आकड कहता है 'इसे दस तक करा दो ' सहपरिवादी आबिद खान कहता है 'कम करा दो थोडा दस तक' आरोपी अरविंद शर्मा कहता है 'एक प्रयास कर ले ला न है णा' सहपरिवादी आबिद खान कहता है 'तो लमसम कड तक बैठ जा ल्या' आरोपी अरविंद शर्मा कहता है 'लगभग आइडियो बता दियो गलत' परिवादी गोविंद आकड कहता है 'नायब साहब ' आरोपी अरविंद शर्मा कहता है 'मारी ओडी सु तो मारी बात सुन मे प्रयास या करू भाई जतो कम बैठ न जो करवा दु ला लेकिन लगभग आईडियो आईडियो बता रचाल रू छु ' सहपरिवादी आबिद खान कहता है 'नहिआपा गुढलावा कोन आपा न काम क्लीयर छ अब या बता दयो जायज काई होव लो जायज काई होव ली' आरोपी अरविंद शर्मा कहता है 'जो भी कम हो ला मदद करू ला थारी पुरी ' सहपरिवादी आबिद खान कहता है 'कम करावो इन बजट न कम करावो' आरोपी अरविंद शर्मा कहता है 'जो भी कम है सक ला जो कर ला या मत कर ज्यो लगभग आईडिया सु व्यवस्था राशि ज्यो बस आईडिया छ इसु कम म नमट ज्या आईडयो यामान र चाल ' परिवादी गोविंद आकड कहता है 'में तो मे मेरी लाज राखो (दस) तक करवा दो (दस) लाख भी बहुत घणा होव' आरोपी अरविंद शर्मा कहता है 'हा घणा होव छ पण आदमी केक लिया एस.डी.ओ न काई खयु म' सहपरिवादी आबिद खान कहता है 'एस.डी.ओ कता तक एस.डी.ओ सबसु ज्यादा एस.डी.ओ का होता दिखे' परिवादी गोविंद आकड कहता है पटवारी मतलब कम सब थे ज्यादा ले ल्यो इन दोनो न कम कर दयो' आरोपी अरविंद शर्मा कहता है 'मे लण्ड का सिरी थारा हाथ सु दे दि ज्यो दे जी न मारी ओडी सु टेन्शंन कत ल ' सहपरिवादी आबिद खान कहता है 'नहि - नहि वो बात सही छ अर (पच्चीस) लाख रूपयो या बात सही छ कर ल करजो ओ कर ले ला लेकिन माखो करण हो जावलो (पच्चीस) लाख रूपया म ' आरोपी अरविंद शर्मा कहता है 'अर भाई मोटो -मोटो आईडियो बतायु छु बिन भी तोल दे रया छा काई ' सहपरिवादी आबिद खान कहता है 'नाहि तोलर तो कोन दे रया भाई आपा' आरोपी अरविंद शर्मा कहता है 'तसल्ली राख गयारह तारीख तानी कोई न काई मत खे काई 'आरोपी अरविंद शर्मा कहता है 'व्यवस्था तो राख ज्यो ' सहपरिवादी आबिद खान कहता है 'कम करावो आन' आरोपी अरविंद शर्मा कहता है ' जो भी कम है जाली वो सब करा दु जो फायदो हो लो सब करा दु ला' आदि वार्ता का उल्लेख है।अब तक की ट्रेप कार्यवाही, फर्द अनुलिपी, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया गया कि प्रार्थी गोविन्द आकड की जमीन ग्राम चान्दावास पटवार हल्का मानपुर गेट, तहसील माधोराजपुरा जयपुर में स्थित है। आरोपी लोकसेवक श्री अरविन्द शर्मा नायब तहसीलदार रेनवाल मान्जी जिला जयपुर ने भू-माफियाओ, तहसीलदार, अधिवक्ता आदि से आपसी मिलीभगत कर आपराधिक षडयंत्र की रचना परिवादी को जमीन बेचने के लिये विवश करने के लिये की गयी। परिवादी द्वारा अपनी आराजीजात में सक्षम स्तर से अनुज्ञापत्र प्राप्त कर ईट भट्टे का कार्य किया जा रहा था। आरोपी श्री अरविन्द शर्मा, नायब तहसीलदार रेनवाल मांजी, जिला जयपुर ने परिवादी की आराजी पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के मिट्टी खनन कर गैर कृषि उपयोग में लिये जाने एवं भूमि के कृषि स्वरूप में परिवर्तन होना बताकर जानबूझकर षडयंत्रपूर्वक तहसीलदार,

तहसील माधोराजपुरा को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 177 के तहत प्रार्थी की फर्म मैसर्स भूधन रियल स्टेट प्रा.लि. व अन्य को उनकी भूमि से बेदखल करने एवं उक्त भूमि की खातेदारी अधिकार समाप्त कर भूमि को राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज करने हेतु एक षडयंत्र के तहत परिवाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा जिला जयपुर को प्रस्तुत करवाया गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 93/2025 दर्ज कर उक्त कृषि भूमि पर न्यायालय निर्णय के अनुसार यथास्थिति निषेधाज्ञा जारी की गई। प्रार्थी/परिवादी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज करवाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा जिला जयपुर में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। आरोपीगण ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए परिवादी को अपने पूर्व परिचित अधिवक्ता का नाम बताया ताकि पैसो की आपस में अच्छी डील अधिवक्ता के माध्यम से हो सके जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अस्थाई निषेधाज्ञा को हटवाने के सम्बन्ध में प्रार्थी गोविन्द आकड द्वारा नायब तहसीलदार अरविन्द शर्मा से सम्पर्क किया तो नायब तहसीलदार लोकसेवक ने स्वयं तहसीलदार माधोराजपुरा एवं अन्य के लिए जमीन का मामला निपटाने व सिवायचक नही होने देने के लिये रिश्वत राशि 25,00,000/- लाख रूपये की मांग करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। तहसीलदार माधोराजपुरा भू-माफियाओ व अधिवक्ता की संलिप्तता की विस्तृत जांच अनुसंधान के दौरान की जाना उचित रहेगा । आरोपी श्री अरविन्द शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा नायब तहसीलदार रेनवाल मान्जी जिला जयपुर व अन्य का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 7 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) अधिनियम 2018 व 61(2) बीएनएस 2023 का बनना पाये जाने से आरोपी श्री अरविन्द शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा नायब तहसीलदार रेनवाल मान्जी जिला जयपुर व अन्य के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है।(अर्चना मीणा)पुलिस निरीक्षक, विशेष ईकाई प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अर्चना मीणा, पुलिस निरीक्षक, विशेष ईकाई-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपी श्री अरविन्द शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा हाल नायब तहसीलदार रेनवाल मान्जी जिला जयपुर व अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विजय सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, एस.यू.-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 239 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 1875-78 दिनांक 16.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-01 जयपुर 2- जिला कलक्टर, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष ईकाई-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIJAY SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of Jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]2/2025 1[illegible]7

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1970				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)